27/08/19	पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज लगवाई गई परन्तु वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः दावा वादीगण अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)